

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक:-4/नि.1-109/18-245(मम)

पटना, दिनांक:- 05/10/2018

सेवा में,

Fax
E-mail

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

विषय:-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-0004-शहरी जलापूर्ति योजना शीर्ष अन्तर्गत (0004.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई के अधीन, वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन।

(विपत्र कोड संख्या-36-2215011010004)

आदेश:-उपरोक्त शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ₹11,64,700.00 (ग्यारह लाख चौंसठ हजार सात सौ रुपये) मात्र का आवंटन नवादा शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित एक लाख गैलन क्षमता के जलमीनार को ध्वस्त करने हेतु आवंटित किया जाता है, जिसकी पूर्ति, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम- मांग संख्या-36-0004- शहरी जलापूर्ति योजना (0004.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष अन्तर्गत, वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

- व्यय, 2215-जला पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-मांग संख्या-36-0004-शहरी जलापूर्ति योजना (0004.27.02) अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष में भारितव्य है।
- महालेखाकार, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।
- व्यय, आवंटित राशि के अन्दर ही सीमित रखें।
- यह आवंटन, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम.4-05/98-2561/वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-3244, दिनांक 04.05.18 में निहित प्राक्धान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का व्यय नवादा शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित एक लाख गैलन क्षमता के जलमीनार को ध्वस्त करने हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जायेगा। इस आवंटन के विरुद्ध 'व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र' विहित प्रपत्र में एक माह के अन्दर कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा।
- इस कार्य का संपादन विशेषज्ञ के परामर्श से डिमोलिसन प्लान तैयार कर कार्यपालक अभियंता द्वारा अपनी देख-रेख में किया जायेगा।
- इस आवंटन के अन्तर्गत किये जानेवाला व्यय, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- इस आवंटन के अन्तर्गत, किसी प्रकार के वेतन भुगतान पर, व्यय नहीं किया जायेगा।

Sunishma
4.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4/नि.1-109/18-245(मम)

पटना, दिनांक:- 05/10/2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, नवादा/उप विकास आयुक्त, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, नवादा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक/रूपांकण)/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा0अभि0 अंचल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4ए (बजट)/प्रभारी सहायक (बजट)/आई.टी. (मैनेजर), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sunishma
4.10.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव